कम्प्यूटर नं०-1717434

संख्या-01/2026/897/52-1-2025

प्रेषक,

अरविन्द कुमार गिरि,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2026**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य प्रशासनिक मद की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-1918/अ.सं.क.नि./पी.एम.जे.वी.के./डी.एल.एफ.-मांग (409452)/25 दिनांक 26.08.2025 एवं पत्र संख्या-3437/अ०सं०क०नि०/पी०एम०जे० वी०के०/प्रशा०व्य० (303232)/2025 दिनांक 26.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विगत वर्षों में व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रशासनिक मद की अवशेष धनराशि के सापेक्ष विभिन्न मदों के देयों/व्ययों के भुगतान हेतु रू० 188.13320 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए अनुमन्य प्रशासनिक मद की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एस०एन०ए० खाते से धनराशि का व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन (Wef: 2022-2023) के प्रस्तर 3.11 Administrative Cost के उप प्रस्तर 3.11.1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार एस.एन.ए. पूल खाते से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विगत वर्षों में व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रशासनिक मद की अवशेष धनराशि में से निम्न तालिका में अंकित धनराशि **रू० 188.13320 लाख (रू० एक**

shasanadesh.up.gov.in

करोड़ अठ्ठासी लाख तेरह हजार तीन सौ बीस मात्र) का भुगतान एस.एन.ए. खाते से आहरित किये जाने की अनुमति के बिन्दु पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र.सं.	मद	मॉग की जा रही धनराशि	जी.एस.टी./सर्विस चार्ज की धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1	योजना के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु यात्रा इत्यादि व्यय	12,00,000 (for 12 Month)	2,16,000 (GST)	14,16,000
2	योजना के मूल्यांकन के क्रम में विगत 05 वर्षों की सी.ए. फर्म द्वारा आडिट हेतु व्यय	10,00,000 (for Last 05 Year)	1,80,000 (GST)	11,80,000
3	अन्य व्यय (Contingency)	25,00,000 (for 12 Month)	4,50,000 (GST)	29,50,000
4	प्रोग्रामर (संख्या 01/60000 प्रति माह)	7,20,000 (for 12 Month)	1,57,320 (GST+Agency Service Charge)	8,77,320
5	ई-आफिस हेतु कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धी उपकरण का क्रय (70 जनपद)	1,05,00,000	18,90,000 (GST)	1,23,90,000
		1,59,20,000	28,93,320	**1,88,13,320**

3. अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27.03.2025, 19.06.2024, 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय उपर्युक्त मदों पर आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, सुसंगत प्राविधानों एवं वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

(5) प्रश्नगत धनराशि का भुगतान जिन जनपदों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किये गये हों, के मदो पर ही किया जायेगा।

(6) **प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित धनराशि के व्यय की अनुमति/सहमति इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन्स द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य 02 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत**

shasanadesh.up.gov.in

व्यय किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(7) उक्त मदों तथा मानदेय का भुगतान सम्बन्धी आदेश एस0एन0ए0 में जमा धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत करने का उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(8) केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(10) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025, 19.06.2024, 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार गिरि)

अनु सचिव।

संख्या-897(1)/बावन-1-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा० मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

shasanadesh.up.gov.in

7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
10. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार गिरि)

अनु सचिव।

shasanadesh.up.gov.in